

समूह - 1 : खनिज आधारित उद्योग :

(1) चूना पत्थर, चूना सीपी और अन्य चूना उत्पाद उद्योग (2) मंदिरों और भवनों के लिए पत्थर की कटाई पिसाई, नक्काशी तथा खुदाई (3) पत्थर से बनी हुई उपयोगी वस्तुएँ (4) स्लेट और स्लेट पेंसिल का निर्माण (5) प्लास्टर आफ पेरिस का निर्माण (6) बर्तन धोने का पावडर (7) जलावन के ब्रिकेट (8) सोने, चांदी पत्थर, सीपी और कृत्रिम सामग्रियों से आभूषणों का निर्माण (9) गुलाल, रंगोली का निर्माण (10) चूड़ी निर्माण (11) पेंट, रजक वार्निश और डिस्टेंपर का निर्माण (12) कांच के खिलौनों का निर्माण (13) सजावटी शीशों की कटाई डिजाईनिंग पॉलिशिंग (14) रत्न कटाई।

समूह - 2 : वन आधारित उद्योग :

(15) हाथ कागज (16) कत्था निर्माण (17) गांद ओर रैजिन निर्माण (18) लाख निर्माण (19) कुटीर दियासलाई उद्योग, पटाखे और अगरबत्ती निर्माण (20) बांस और बंत कार्य (21) कागज के प्याले, तशतरी, झोले और कागज के डिब्बों का निर्माण (22) कापियों की जिल्दसाजी, लिफाफा निर्माण रजिस्टर निर्माण और कागज से बनाई जाने वाली अन्य लेखन-सामग्रियों (23) खस टट्टी और झाड़ू निर्माण (24) वनोत्पादों का संग्रह, प्रशोधन और पैकिंग (25) फोटो जड़ना (26) जूट उत्पादों का निर्माण (रेशा उद्योग अन्तर्गत)।

समूह - 3 : कृषि आधारित और खाद्य उद्योग :

(27) अनाज दाल, मसाला चटपटे मसाले आदि का प्रशोधन, पैकिंग और विपणन (28) नूडल निर्माण (29) विद्युत चलित आटा चक्की (30) दलिया निर्माण (31) चावल छिलका उतारने की छोटी इकाई (32) ताड़ गुड़ निर्माण और अन्य ताड़ उत्पाद उद्योग (33) गन्ना गुड़ और खांडसारी (34) भारतीय मिष्ठान निर्माण (35) रसवन्ती गन्ना रस, खान पान इकाई (36) मधुमक्खी पालन (37) अचार सहित फल ओर सब्जी का प्रशोधन, परिक्षण एवं डिब्बाबंदी (38) घानी तेल उद्योग (39) मन्थॉल तेल (40) नारियल जटा के अलावा रेशा (41) औषधीय कार्यों के लिए जड़-बूटियों का संग्रह (42) मक्का और रागी का प्रशोधन (43) मज्जा कार्य, मज्जा चटाईयों और हारों आदि का निर्माण (44) काजू प्रशोधन (45) पत्ते का दोना बनाना (46) दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाई (47) पशु चारा, मुर्गी चारा निर्माण (48) बड़ी, पापड़ (49) बेकरी (50) भडभुजा।

समूह - 4 : बहुलक और रसायन आधारित उद्योग :

(51) शवच्छेदन, चर्मशोधन तथा खाल व त्वचा से संबंधित अन्य सहायक उद्योग और कुटीर चर्म उद्योग (52) कुटीर साबून उद्योग (53) रबड़ वस्तुओं का निर्माण (डिप्ल लेटेक्स उत्पाद) (54) रेग्जीन, पीवीसी से बने उत्पाद (55) हाथी दांत समेत सींग और हड्डी उत्पाद (56) मोमबत्ती, कपूर और मोहर वाली मोम का निर्माण (57) प्लास्टिक की पैकेजिंग वस्तुओं का निर्माण (58) बिंदी निर्माण (59) मेंहदी निर्माण (60) इत्र निर्माण (61) शैम्पू निर्माण (62) केश तेल निर्माण (63) डिटर्जेंट और धुलाई पावडर निर्माण (आवषाक्त) (64) चर्म फुटवियर (65) चर्म से वस्तु निर्माण

समूह - 5 : इंजीनियरिंग और गैर-परम्परागत ऊर्जा :

(66) बढ़ईगिरी (67) लोहारी (68) अल्युमिनियम के घरेलू बर्तनों का उत्पादन (69) गोबर और अन्य अपशिष्ट उत्पाद, जैसे मृत पशु के मांस और मल आदि के खाद्य और मीथेन (गोबर) गैस का उत्पादन और उपयोग (70) कागज पिन, क्लिप, सेफ्टी पिन, स्टोव पिन आदि का निर्माण (71) केंचुआ पालन और कचरा निपटान (72) सजावटी बल्बों, बोतलों ग्लासों आदि का निर्माण (73) छाता उत्पादन (74) सौर तथा पवन ऊर्जा उपकरण (75) पीतल ताबें और कांसे के अन्य वस्तुओं का निर्माण (76) रेडियो निर्माण (77) कैसेट प्लेयर का निर्माण, भले ही वह रेडियों में लगा हुआ हो या न लगा हो (78) वोल्टेज स्टेबलाईजर का उत्पादन (79) इलेक्ट्रनिक घड़ी और अलार्म घड़ियों का निर्माण (80) मोटर बाईडिंग (81) तार की जाली बनाना (82) टिनकार्य (83) लोहे की झंझरी (ग्रिल) निर्माण (84) ग्रामीण यातायात वाहन जैसे हाथगाड़ी बैलगाड़ी छोटी नाव, दुपहिया साईकिल/साईकिल रिक्सा, मोटर युक्त गाड़ियों का निर्माण (85) संगीत साजो का निर्माण।


समूह - 6 : वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर) :

(86) छींटकारी (87) खिलौना और गुडिया निर्माण (88) धागे का गोला, ऊनी गोला तथा लच्छी निर्माण (89) काशीदाकारी (90) स्टोव की बत्तियां (91) कपड़े की काशीदाकारी (92) दरी बुनाई (93) शाल बुनाई, (94) सिलाई, वस्त्रों का निर्माण।

समूह - 7 : सेवा उद्योग :

(95) धुलाई (96) नाई (97) नलसाजी (98) बिजली की वायरिंग और घरेलू इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मरम्मत (99) डीजल इंजनों, पंप सेटो आदि की मरम्मत (100) टायर वल्कनीकरण (रिट्रीडिंग) इकाई (101) छिडकाव, कीटनाशक, पंप सेटों आदि के लिए कृषि सेवा कार्य (102) लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रसारक, माइक आदि ध्वनि प्रणालियों को किराये पर देना (103) बैटरी भरना (104) कला फलक चित्रकारी (105) साइकिल मरम्मत की दुकाने (106) राजगीर (107) बैंड मण्डली (108) ढाबा (शराब एवं मांस रहित) (109) मोटर साईकिल, टैक्सी (110) चाय की दुकान (111) आयोडीन मिला हुआ नमक (112) आटो रिपेरिंग, (113) टिफिन सेंटर (114) कम्प्रेसर (115) टेंट हाउस (116) मोबाईल रिपेरिंग (117) कम्प्यूटर रिपेरिंग (118) विडियो ग्राफिंग (119) ब्यूटी पार्लर

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां जो खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्य हैं, अथवा आयोग की निषिद्ध कार्यों की सूची में शामिल उद्योग को छोड़कर।


उप सचिव
म. प्र. शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग